>kj[kM fo/kku lHkk

dh

exk LikVl dkEIyDl fuek.k e vfu;ferrk ij xfBr

विशेष lfefr dk ifronu] 2008

fo'ks lfefr dk xBu

माननीय सदस्य, झारखंड विधानसभा सर्वश्री राधाकृष्ण किशोर, रवीन्द्र कुमार राय एवं गिरिनाथ सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार के उत्तर से सदन संतुष्ट नही हुआ और माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की विशेष समिति द्वारा मामले की जांच करने का नियमन हुआ। तदनुसार सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या–3556 दिनांक 26 अगस्त, 2006 द्वारा विशेष समिति का गठन किया गया।

1.	श्री सरयू राय	स०वि०स०	संयोजक
2.	श्री राधाकृष्ण किशोर	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्री गिरिनाथ सिंह	स०वि०स०	सदस्य
4.	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	स०वि०स०	सदस्य
5.	श्री रवीन्द्र कुमार राय	स०वि०स०	सदस्य
6.	श्री मनोज कुमार यादव	स०वि०स०	सदस्य
7.	श्रमती अपर्णा सेन गुप्ता	स०वि०स०	सदस्य

समिति का प्रतिवेदन 30 अक्टूबर 2007 को तैयार हो गया जिसे 09 जनवरी 2008 को अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के समक्ष उपस्थापित किया गया। माननीय सदस्य श्री राधाकृष्ण किशोर ने समिति की अनुशंसाओं के अतिरिक्त अलग से भी अपनी अनुशंसा दी।

fu'd'k

1. राष्ट्रीय खेल के लिये स्टेट ऑफ दी आर्ट मेगा स्पोर्टस कॉम्पलेक्स बनाने का उद्देश्य आरंभ से ही रहने बावजूद राज्य सरकार और खेलकूद विभाग के पदाधिकारियो की समझ इस परियोजना की अवधारणा एवं विस्तृत रूपरेखा के बारे में स्पष्ट नहीं रही है। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रति शुरू से ही गंभीर नहीं रही है। इस कारण परियोजना के स्कोप में बार–बार परिवर्तन हुआ है और लागत व्यय में वृद्धि हुई है।
2. 16 जनवरी, 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में इण्डियन ओलंपिक एशोसिएशन द्वारा कहा गया थ कि परियोजना निर्माण में होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार द्वारा यह राशि प्राप्त करने के बारे में कोई काशिश नहीं की गयी। नतीजतन परियोजना का पूरा व्यय भार राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है।
3. मेगा स्पोर्टस कॉम्पलेक्स निमार्ण के लिये इण्डियन ओलंपिक एशोसिएशन ने जो मापदंड उपलब्ध कराया था उसके आधार पर 04.06.2002 को राज्य सरकार द्वारा एक अभीक्षा पत्र प्रकाशित किया गया। पुनः इसमें संशोधन कर निविदा प्रकाशित की गयी। इसमें निविददाताओं ने परियोजना निर्माण के लिये जो अनुमानित लागत अपनी निविदाओं में उद्धृत किया था, वह न्यूनतम 80 करोड़ रूपये अैर अधिकतम 150 करोड़ रूपये थी।
4. दिनांक 17.03.2003 को यह निविदा रद्द कर दी गयी क्योंकि निविदा खुल जाने के बाद राज्य सरकार ने परियोजना के कार्य और स्कोप में वृद्धि करने का निर्णय लिया। तद्नुसार बढ़े हुये स्कोप के आधार पर नये सिरे से निविदा निकालने का निर्णय हुआ और लागत में वृद्धि हुई।
5. निविदा प्रपत्र तैयार करने के लिये राज्य सरकार ने मेकॉन को निविदा पूर्व परामर्शी नियुक्त किया। चार लाख रूपये के व्यय पर एक उपयुक्त परामर्शी के चयन हेतु निविदा प्रपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी मेकॉन को दी गयी। जब पूर्व में एक बार निविदा प्रकाशित हो गयी थी और परियोजना का स्कोप बढ़ाने के बारे में विस्तार से आईटमवार इसमें संशोधन संसूचित कर दिया गया थ और

इस संशोधन के आधार पर नयी निविदा प्रकाशित की जानी थी, तब मेकॉन को निविदा पूर्व परामर्शी नियुक्त करने और चार लाख रूपये का व्यय करने का कोई औचित्य नहीं था। इससे परियोजना की लागत व्यय में अनावश्यक वृद्धि हुई।

6. परियोजना की अवधारणा योजना, रूपांकन, अभियांत्रिकी एवं इससे संबंधित अन्य सेवाओं के लिये परामर्शी चयन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिये परामर्शी की नियुक्ति हेतु मेकॉन द्वारा तैयार की गयी निविदा अपैल, 2004 में प्रकाशित हुई। इस निविदा की शर्ते ऐसी थीं कि अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परामर्शी होने का दावा करने वाले परामर्शियों में स भी कोई इसकी सभी शर्तों को पूरा करने में विलंब न हो इसलिये राज्य सरकार ने मेकॉन द्वारा तैयार निविदा प्रपत्र की विभिन्न शर्तों में ढ़ील देकर समान अवसर के सिद्धांत उन्हें तकनीकी प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया। इस प्रकार मेकॉन द्वारा प्रसांगिक निविदा प्रपत्र तैयार करने हेतु भुगतान किये गये चार लाख रूपये का व्यय निष्फल साबित हुआ।

7. परामर्शी चयन की निविदा के तकनीकी प्रस्ताव में चयन का आधार क्वालिटी बेस्ट सिस्टम रखा गया था जिसके अनुसार तकनीकी मूल्यांकन में सर्वोच्य अंक प्राप्त करने वाले निविदादाता परामर्शी का चयन निगोशिएशन के उपरांत किया जाना चाहिये था। परन्तु सर्वोच्य अंक प्राप्त करने वाले निविददाता के प्रस्ताव को इस आधार पर विचार योग्य नहीं माना गया कि उसने तकनीकी प्रस्ताव के साथ ज्वाइंट भेंचर का कागजात समर्पित नहीं किया है और उसके द्वारा दिया गया परियोजना लागत का अनुमान राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रारंभिक प्राक्कलन के शिड्यूल रेट से काफी अधिक था।

8. निविदा समिति द्वारा क्वालिटी बेस्ट सिस्टम की भावना के विपरीत मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया और तकनीकी मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले तीन निविदादाताओं को योग्यता श्रेणी में सूचीवद्ध किया गया। यह निविदा में निर्धारित प्रक्रिया से विचलन है। इसका स्पष्टीकरण विभागीय अधिकारी समिति को नहीं दे सके।

9. तकनीकी मूल्यांकन मे सर्वोच्य अंक प्राप्त करने वाले निविदादाता के साथ निगोशिएशन किये बिना उसे छांट देने के बाद दूसरे स्थान पर अंक प्राप्त करने वाले परामर्शी मेनहर्ट का चयन कर लिया गया। चयन का एक आधार यह भी बताया गया कि परामर्शी मेनहर्ट की निविदा में परियोजना की अनुमानित लागत 206 करोड़ रूपये बतयाी गई है, जो सरकार द्वारा निर्धारित परियोजना के प्रारंभिक प्राक्कलन (शिड्यूल रेट) 200 करोड़ के काफी निकट है। परियोजना की लागत अभी तक मेनहर्ट परामर्शी द्वारा प्रारंभ में दी गई लागत के दुगने से भी अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में परामर्शी द्वारा निविदा में अंकित लागत का प्राक्कल आधारहन एवं संदेहास्पद प्रतीत होता है। ऐसा लगता है

कि इस परामर्शी ने जानबूझकर अपना प्राक्कलन शिड्यूल रेट के काफी निकट रखा ताकि निविदा हथियाने में सहुलियत हो सके।

10. परामर्शी चयन के उपरांत सरकार और परामर्शी के बीच हुये एकरारनामा के अनुसार सरकार की ओर से सात व्यक्तियों को अंतराष्ट्रीय खेल संरचनाओं के अध्ययन हेतु विदेश भ्रमण का प्रावधान था। भ्रमण का उद्देश्य परामर्शी द्वारा निविदा के समय प्रस्तावित रूपांकन के समरूप विदोशों में निर्मित खोल संरचनाओं से अवगत होना था। यह एकरारनामा मेकॉन द्वारा तैयार किया गया निविदा प्रपत्र पर आधारित था। वस्तुतः देश अथवा विदेश में इस उद्देश्य से भ्रमण का कार्य निविदा के उपरांत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन किया गया जो लागत में वृद्धि का प्रमुख कारण है।

11. जब पूर्व में एक बार 17 मार्च 2003 को परियोजना के कार्य एवं स्कोप में वृद्धि को आधार बनाकर परामर्शी चयन की निविदा को रद्द कर दिया गया और बढ़े स्कोप के कारण निविदा प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया तो परामर्शी के साथ मंत्री एवं अन्य की विदेश यात्रा के उपरांत बढ़े हुये स्कोप को स्वीकार कर लिया जाना कतई उचित नहीं प्रतीत हो रह है क्योंकि ऐसा करना परियोजना के लागत में भार वृद्धि का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुआ।

12. परामर्शी के व्यय पर सात व्यक्तियों की जगह पॉच व्यक्ति विदेश भ्रमण पर गये। जिसमें केवल एक मुख्य अभियंता की तकनीकी विशेषज्ञ थे। शेष दो विभागीये सचिव और एक माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव शामिल थे। माननीय मंत्री और उनके आप्त सचिव के विदेश भ्रमण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया गया। इस तरत वस्तुतः सात व्यक्तियों के स्थान पर मात्र तीन व्यक्तियों ने व्यय पर विदेश भ्रमण किया। परंतु इसे परियोजना की लागत से घटाया नहीं गया।

13. जिस समय में राँची में निर्मित होने वालीइस महात्वाकाक्षी परियोजना के लिये मंत्री एवं अन्य अधिकारी विदेश भ्रमण कर रहे थे उस समय फरवरी 2007 में गुवाहाटी में सम्पन्न हुये राष्ट्रीय खेलों के लिये परियोजना का निर्माण वहां हो रहा था। परंतु मंत्री अथवा किसी भी अधिकारी ने गुवाहाटी जाकर वहां की खेल संरचनाओं ा अध्ययन करना मुनासिब नहीं समझा और इसकी जगह खेल संरचना अध्ययन के लिये विदेश यात्रा पर गये। यह विदेश यात्रा परियोजना के लागत में वृद्धि का करण बनी। इस विषय में विभागीय अधिकारी समिति के समक्ष संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

14. विदेश भ्रमण से लौटने के उपरांत माननीय मंत्री और उनके आप्त सचिव ने अभी तक अपना यात्रा विपत्र सरकार को नहीं सौंपा है। माननीय मंत्री के आप्त सचिव सरकारी अधिकारी हैं। उनका यह आचरण नियम विरूद्ध है। माननीय मंत्री द्वारा भी विदेश यात्रा का विपत्र नहीं सौंपा जाना मंत्री पद की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। आश्चर्य है कि सरकार द्वारा इस बारे में इन्हें स्मारित नही किया

गया। उनके आप्त सचिव के विरूद्ध भी सेवा संहिता के प्रावणानों के अनुरूप कोई कार्रपाई नहीं की गई।

15. गैर अनुसूचित श्रेणी की सामग्रियों की आपूर्ति के लिये आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने हेतु और संरचनाओं के निर्माण के लिये संवेदकों के चयन हेतु दो निविदा प्रपत्र परामर्शी द्वारा तैयार किया गया। गैर अनुसूचित श्रेणी की सामग्रियों की आपूर्ति के लिये प्रकाशित निविदा की शर्ते ऐसी थीं जिनके कारण काफी सीमित संख्या में आपर्तिकर्ता निविदा में भाग लिये। परिणामस्वरूप निविदा में प्रतिस्पर्धा के दौरान कम नहीं किया। इसके कारण परियोजना की लागत में बेहताशा वृद्धि हुई। सवाल उठता है कि परामर्शी ने निविदा में शिड्यूल रेट निर्धारित करते समय इन सामग्रियों के बाजार भाव का जायजा लिया था या नहीं ? अगर उन्हें बाजार भाव का जायजा लिया था तो काफी बढ़े हुये दर पर निविददाताओं की शर्तों को क्रूों स्वीकार किया गया ?

16. मुख्य संवेदक के चयन हेतु परामर्शी मेनहर्ट द्वारा तैयार किये गये निविदा प्रपत्र और इसके आधार पर निर्धारित मूल्यांकन पक्रिया में अंतर होने के निविदा के बारे में एक प्रतिस्पर्धी संवेदक ने तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव खुल जाने के बाद इस त्रुटि की ओर इंगित किया। इसके बाद निविदा समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार पर लिये गये निर्णय की समीक्षा मंत्री स्तर पर हुई और निविदा समिति के पूर्व के निर्णय में परिवर्तन हुआ। इसकी पूरी जिम्मेदारी परामर्शी और विभागीय अभियंताओं एवं अधिकारियों की है जिन्होंने निविदा मूल्यांकन स्कम तैयार किया था।

17. निविदा खुल जाने के बाद विभागीय मंत्री के स्तर पर निविदा शर्तो एवं मूल्यांकन प्रक्रिया मे परिवर्तन कर पुनः मूल्याकन कराने का आदेश दिया जाना पी.डब्ल्यू.डी. कोड के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। संचिका में विभागीय सचिव द्वारा इस बारे में दो विकल्प सुझाए गये थे। पहला विकल्प निविदा समिति के निर्णय को स्वीकार कर लेने का था और दूसरा विकल्प पुनः निविदा प्रकाशित करने का था। परंतु पुनः निविदा के विकल्प पर सहमत होने के बावजूद माननीय मंत्री द्वारा पुनः निविदा करने का आदेश देने के बदले में निविदा शर्तों और मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन कर इस आधार पर इस आधार पर निविदा का पुनः मूल्यांकन का निर्णय लेने और इस बारे में आगे कोई पत्राचार नहीं करने का आदेश दिया गया। मंत्री महोदय का यह निर्णय समिति की नजर में उचित नहीं है क्योंकि इससे संवेदक चयन प्रक्रिया पर गुणात्मक प्रभाव पड़ा।

18. परामर्शी और संवेदक निविदा देते समय अपनी ओर से ऐसे विशेषज्ञों का नाम अपनी सूची में दे देते हैं जिनकी योग्यता के कारण के कारण उनका चयन की संभवना बढ़ जाती है। परंतु वास्तव में ऐसे विशेषज्ञ निविदादाता कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे होते हैं। इनमें अनुभव को आधार बनाकर निविदा हथियाने की संवेदकों एवं परामर्शियों की मंशा इसके पीछे रहती है। परामर्शी मेनहर्ट ने

परियोजना के रूपांकन के लिये जिस विशेषज्ञ का नाम अपनी निविदा में अंकित किया था, वस्तुतः रूपांकन कार्य उस विशेषज्ञ के द्वारा नहीं हुआ। रूपांकन पर जिन दो विशेषज्ञों के हस्ताक्षर हैं उनमें से एक आर्किटेक्ट न होकर सेनेट्री अभियंता है। परामर्शी ने इस बारे में सरकार को सूचित नहीं किया। रूपांकन का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि परामर्शी को किये जाने वाले भुगतान का 80 प्रतिशत रूपांकन लिये ही है19.परामर्शी द्वारा दिये गये रूपांकन पर निर्धारित विशेषज्ञ का हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद मुख्य अभियंता द्वारा रूपांकन को तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। विभागीय सचिव इसे संतुष्ट नही हुये और उन्होंने परामर्शी द्वारा दिये गये परियोजना के रूपांकन को सम्पुष्ट के लिये आई.आई.टी. दिल्ली के आर्किटेक्चर डिपार्टमें के पास भेजने का निदेश दिया। इसके लिये 40 लाख रूपये अग्रिम का भुगतान भी कर दिया गया। यह सम्पुष्टि आज तक नहीं हुई। यह व्यय निष्फल साबित हुआ और परियोजना की लागत में वृद्धि हुई।

20. संवेदक की निविदा में ल्यांग और सिम्प्लेक्स ज्वाइंट भेंचर के रूप में शामिल हुये जिसमें ल्यांग लीड पार्टनर है। सिम्प्लेक्स के पास निर्माण कार्य का पर्याप्त अनुभव नहीं था और ल्यांग साथ ज्वाइंट भेंचर के कारण ही उन्हे निविदा हासिल हुई। निविदा में ल्यांग के कई विदेशी विशषज्ञों का नाम था परन्तु निर्माण काय्र के दौरान वे कहीं भी नहीं दिखायी पड़े। एक तरह से सिम्प्लेक्स ने ल्यांग के अनुभव की आड़ में निविदा हासिल करने के लिये ही ज्वाइंट भेंचर दिखाया और निविदा हासिल भी किया गया। इसका कुप्रभाव निर्माण कार्य पर पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिये समिति सित्प्लेक्स और ल्यांग को दोषी मानती है।

21. ल्यांग और सिम्प्लेक्स के ज्वाइंट भेंचर एग्रिमेंट के अनुसार इनके द्वारा दिये जाने वाले बैंक गारंटी की राशि ज्वाइंट भ्ज्ञेंचर के नाम से होगी, परन्तु दोनों के खाता से उनकी सहभागिता के अनुपात में दी जायेगी। समिति द्वारा बार–बार मांगे जाने के बावजूद विभागीय अाकिारी यह बताने में असमर्थ रहे कि ैंक गारंटी की कितनी राशि ल्यांग के खाते से आयी है और कितनी राशि सिम्प्लेक्स के खाते से आयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक गारंटी की पूरी राशि जो ज्वाइंट भेंचर के नाम से है, का भुगतान केवल सिम्पलेक्स के बैंक खाता से ही किया गया। स्पष्ट है कि लीड पार्टनर होने के बावजूद ल्यांग की उपस्थिति संपूर्ण निमार्ण कार्य में केवल कागज तक ही सीमित है और पूरा कार्य अकेले सिम्प्लेक्स द्वारा किया जा रहा है। यह गंभीर अनियमितता है और धोखा–धड़ी है इस विषय से विभाग के मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंता भ्ज्ञी सचेष्ट नहीं रहे हैं।

22. परियोजना के लिये खेल गांव के निर्माण के लिये नागार्जुन कंसट्रक्सन कंपनी लि. के चयन की प्रक्रिया भी संदेह से परे नहीं है। कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह चयन एकल निविदा के आधार पर हुआ है। इसके लिये जिम्मेवार कंपनी आई.एल.एफ.एस. के कारण सरकार को

डेवलपर्स से केवल साढ़े 12 प्रतिशत की ही हिस्सेदारी प्राप्त हो रही है जबकि बाजार में हिस्सेदारी की दर काफी अधिक है। समिति के लिये आई.एल.एफ.एस. के उन तर्को से सहमत होना संभव नहीं है जिसके आधार पर आई.एल.एफ.एस. ने साढ़े 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी को उचित ठहराया है। आई.एल.एफ.एस. को सरकार द्वारा दी गई 80 लाख रूपये की अग्रीम राशि को डेवलेर्स के चयन के उपरांत वापस कर दिया जाना था। परन्तु आई.एल.एफ.एस. ने डेवलपर्स चयन के लिये तैयार की गयी निविदा की शर्तो में इसका उल्लेख नहीं किया जो कि सरकार के साथ वादाखिलाफी है और आई.एल.एफ.एस. के अनैतिक एवं कपटपूर्ण आचरण का द्योतक है। इसके लिये आई.एल.एफ.एस. पर कार्रवाई होनी चाहीए। आइ.एल.एफ.एस. उद्योग विभाग एवं पथ निर्माण विभाग सहित सरकार के अन्य विभागों में भी परामर्शी का कार्य कर रहा है। यह जांच का विषय है कि उन विभागों की परियोजनाओं में भी आई.एल.एफ.एस. ने अपने रवैये से राज्य सरकार को ऐसा ही वित्तीय नुकसान पहुचाया है या नहीं। आई.एफ.एल.एस. की भूमिका के बरे में सरकार द्वारा गहन जांच की जानी चाहिये और इसे काली सूची में डालना चाहिये।

23. परियोजना की लागत में अब तक वृद्धि के बाद भी वृहद्ध होने की संभवना है क्योंकि विभागीय अधिकारी इस बारे में पूरी तरह संवेदक और परामर्शी के परामर्श और निर्देशन पर निर्भर है। पी.टी. एफ.ई. छत का विषय भी इससे संबंधित है। परियोजना के बारे तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर सरकार के भीतर स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव परियोजना के खर्च बढ़ने का बड़ा कारण है।

24. परियोजना निमार्ण में लागत से काफी अधिक वृद्धि होने के लिये सरकार की उदासिनता, सरकारी अधिकारियों कह लापरवाही, योजना, रूपांकन? निमार्ण के कार्य के लिये पूरी तरह परामर्शी और संवेदक पर निर्भर रहना है। इसके लिये विभागीय मंत्री, निविदा समिति एवं अन्रू वैसे अधिकारी जिन्होंने विभागीय स्तर पर परियोजना की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया।

vu'kalk;

1. मेगा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स परियोजना के लागत व्यय में करब 150 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण सरकार के विभिन्न स्तरों पर परियोजना के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण तथा समन्ति एवं व्यापक समझदारी का अभव है। इसके कारण लागतव्यय में वृद्धि के साथ–साथ कार्यान्वयन में काफी विलंब हुआ है। राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ी औ स्टेट ऑफ दी आर्ट परिकल्पना वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रति सरकार और शासन का यह रवैया घोर गैर–जिम्मेदराना है। इसकीजिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिये एक उच्च स्तरीय कमिटि गठित की जाय।

2. परियोजना की लागत में भारी वृद्धि राज्य सरकार की दोषपूर्ण कार्यपद्धति और संस्कृति को परिलक्षित करती है। परामर्शी चयन, संवेदकों का चयन, निविदा मूल्यांकन स्कीम निर्धारण, अनुसूचित श्रेणी की सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं के चयन में मान्य नियम, परिनियम, संहिता और परंपरा का खुला उल्लंघन हुआ है जिसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को चिन्हित कर दंडात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई की जाय।

3. संवेदकों के चयन हेतु निविदा प्रपत्र एवं मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करने तथा गैर अनुसूचित श्रेणी की सामग्रियों के लिये आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने में मेनहर्ट परामर्शी की भूमिका संदेहास्पद और राज्य हित के प्रतिकुल प्रतीत हो रही है। भविष्य में इस परामर्शी से कार्य लेने में सरकार को परहज करना चाहये। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण से परामर्शी को बविलंब अलग किया जाय।

4. निदिा की वित्तीय प्रस्ताव खुल जाने के बाद संवेदक चयन से संबंधित निविदा की शर्तों और मूल्यांकन प्रक्रिया में पवितर्न का माननीय मंत्री का निर्देश पी.डब्ल्यू.डी. कोड की भावना के प्रतिकुल है और अनुचित एवं अनियमित है। निर्माण कायों के संबंध में निर्णय लेते समय मान्रू नियमों, परिनियमों? संहिताओं के अनुपालन के लिये मंत्रियों, विभागीय सचिवों एवं अन्य पदाधिरियों को विशेष सावधानी बरतने के लिये निर्देशित किया जाय तथा मूल्यांकन स्कीम तैयार करने तथा इससे पुष्ट करने में सहयोगी अभियंताओं और अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई चलाई जाय।

5. राज्य सरकार में निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु परामर्शियों द्वारा ऐसा किया गया है और इसके लिये इनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिये, इन्हे काली सूची में दर्ज किया जाय और इस कार्रवाई से राष्ट्रीय–अंतराष्ट्रीय मानक संस्थानों को संसूचित किया जाय।

6. खेल गांव के निर्माण में आई.एल.एफ.एस. परामर्शी द्वारा सरकार के हितों की प्राथमिकता नहीं दी गई है और जानबूझकर एकरारनामा के प्रावधानों का उल्लंघन कर वित्तीय अनियमितता की गई है और सरकार को वित्तीय हानि पहुचाई गई है इसके लिये आई.एल.एफ.एस. परामर्शी के विरूद्ध वित्तीय राशि वसूली के लिये अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहीये और इसे काली सूची में दर्ज किया जाना चाहिए।

7. परियोजना की लागत व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण सरकार के विभिन्न स्तरों पर परियोजना को गंभिरता से नहीं लिया जाना, कर्तव्य में लापारवाही बरता जाना नियामों, परिनियमों, संहिता प्रावधानों और परंपराओं का खुला उल्लंघन है। इसके लिये शासन के सभी स्तरों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

8. मंत्री और उनके आप्त सचिव द्वारा विदेश भ्रमण का विपत्र जमा नहीं किया जाना एक गंभीर मामला है। यह विदेशी मुद्रा के उपयोग–दुरूपयोग से भी जुड़ा है। इसके लिये मंत्री महोदय को कारण पुच्टा सहित स्मारिता किया जाय और उनके आप्त सचिव के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की जाय और यथाशीघ्र इसकी सूचना लेखा एवं अंकेक्षण महानिदेशक को अविलंब भेजी जानी चाहिए।

9. निर्माण कार्यों में मान्य नियमों, परिनियमों तथा संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु सभी विभागीय प्रमुखों को कड़ा निदेश दिया जाना चाहिए तथा निविदा समिति के निर्णयों को सचिव और मंत्री के हस्तक्षेप से मुक्त रखने हेतु ठोस कार्रवाई की जानी चााहिए।

10. पूर्व चयनित संवेदक द्वारा ही मेगा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है और पूर्व चयनित परामर्शी द्वारा इसका पर्यर्वेक्षण किया जा रहा है। यक परियोजना की लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। निर्माण कार्य सुचारू रूप से चले, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित हो और लागत व्यय में पुनः वृद्धि नहीं हो इसके लिए आवश्यक है कि परियोजना निर्माण की देख–रेख के लिये एक उच्च्व स्तरीय तकनीकी समिति गठित की जाय।

11. मेगा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाने के बाद इसके रख–रखाव और उपयोगिता क बारे में सरकार द्वारा ठोस निर्णय लिया जाय।

lj;w jk;

la;kstd

ekuuh; lnL; Jh jk/kkd'".k fd'kksj dh vuq'kalk --

2005–06 में 32 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहायता दी गई।

2006–07 में 35 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहायता दी गई।

मेगा स्पोर्टस का प्रारंभ्कि प्राक्कलन	–	206.00 करोड़
निविदा के समय प्राक्कलन	–	340.67 करोड़
निविदा के निष्पादन के समय	–	424.00 करोड़

निरंतर प्राक्कलन बढ़ने से और विशेषकर निविदा के समय प्राक्कलन और निविदा निष्पादन के उपरांत प्राक्कलन में लगभग 84 करोड़ रूपये की वृद्धि होने से परामर्शी की भूमिका संदेहास्पद प्रतीत होती है।

बढ़े हुये प्राक्कलन पर निविदा निष्पादन के वक्त परामर्शी द्वारा कोई प्रश्न नही उठाया जाना संदेहों कोबल देता है।

जांच के क्रम में यह भी बात सामने आई कि बढ़े हुये प्राक्कलन में मुख्य विशेषज्ञ का हस्ताक्षर नहीं है।

मेगा स्पोर्र्टस के निर्माण में लियांग और सिम्पलेक्स ज्वाईन्ट भेंचर के रूप में कार्य कर रहे है। लियांग 51 पतिशत का हिस्सेदार है। कार्य–स्थल पर समिति को लियांग का कोई तकनीकी या प्रशासनिक स्तर का अधिकारी नहीं दिखा जबकि लियांग लीड पार्टनर है।

समिति की बैठक में दीगई जानकारी के अनुसार लियांग जैसी कंपनी का कार्यालय संभवतः देश के बाहर है। समिति के बैठक में लियांग सिम्प्लेक्स के ज्वाईन्ट भेंचर, बैक गारण्टी के बारे में जानना चाहा, काई जानकारी नहीं मिली। समिति की बैठक में यह बात भी सामने आई कि क्या लियांग जैसी विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट भंचर बताया जाना कहीं टेंडर प्राप्त करने का उद्देश्य तो नहीं था ? प्ररून क संदर्भ में विशेष सचिव ने स्वीकार किया है भ्झेरीफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। तात्पर्य यह कि भेरीफिकेशन की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त समिति के बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु आए है जिसके लिये और भी सघन जांच की आवश्यकता है। चुंकी उक्त योजना के लिये राज्य सरकार, भारत सरकार तथा अन्य संस्थओं की धनराशि लगी हुई है अतः मेरी अनुशंसा ै कि भारत सरकार की किसी एजेंसी से जांच कराई जाय।